

सं. एएआई/सीएसआर/ पॉलिसी/ एड/2017/69

दिनांक:05.10.2017

सेवा में,

क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

उत्तरी/पश्चिमी/पूर्वी/दक्षिणी/उत्तर पूर्व क्षेत्र

दिल्ली/मुंबई/कोलकाता/चेन्नई/गुवाहाटी

परिपत्र

विषय: सी एस आर प्रस्तावों के चयन हेतु दिशानिर्देश ।

दिनांक 06 जून, 2017 को कॉरपोरेट सोशल जिम्मेदारी (सीएसआर) और सस्टेनेबिलिटी पॉलिसी के अनुसरण में, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को, कंपनी अधिनियम, 2013 और एएआई सीएसआर पॉलिसी 2017 के अनुसूची-VII के दायरे में सीएसआर गतिविधियों को शुरू करने के लिए प्रतिबद्ध किया जाता है। सीएसआर प्रस्तावों के चयन के लिए निम्नलिखित दिशानिर्देशों का पालन किया जाएगा:

1. एएआई सीएसआर गतिविधियों के लिए निर्धारित राशि का कम से कम 75% खर्च करने के लिए हवाई अड्डों और एएआई की अन्य इकाइयों के आसपास के क्षेत्रों को वरीयता देगा।
2. पॉलिसी के पैरा 8.1 के अनुसार, मैराथन / पुरस्कार / धर्मार्थ योगदान / टीवी कार्यक्रमों के विज्ञापन / प्रायोजन आदि जैसे कार्यकलाप सीएसआर गतिविधि के रूप में योग्य नहीं होंगे ।
3. सीएसआर का जोर सामुदायिक विकास और कल्याणकारी गतिविधियों जैसे सामुदायिक सौर प्रकाश प्रणाली, सामुदायिक जल आपूर्ति, स्वच्छता, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, पर्यावरण, शिक्षा, सरकारी स्कूलों और संस्थानों में चिकित्सा योजनाओं, बस स्टॉप और अन्य सामुदायिक क्षेत्रों की दिशा में होना चाहिए। सीएसआर फंडिंग के माध्यम से ऐसी परियोजनाओं की आवश्यकता की पुष्टि करने के लिए इन कार्यों को राज्य गवर्नमेंट विभाग के संबंधित प्रमुख के परामर्श से लिया जाएगा।

4. सीएसआर पहल परियोजना मोड में यथासंभव संभव होनी चाहिए। प्रस्ताव में लाभार्थियों के विवरण, प्राधिकरण का नाम शामिल होना चाहिए जो परियोजना को पूरा करने तक और इसे बनाए रखने के लिए आगे ले जाएगा।
5. एयरपोर्ट शहरों में, शहरी आधारभूत परियोजनाएं, जो एएआई को ध्यान में रखते हुए शहर की आवश्यकता को पूरा करती हैं, उठाई जा सकती हैं।
6. क्योंकि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण पहले से ही अगले 2 वर्षों के लिए सीआईडीसी (कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवेलोपमेंट काउंसिल) और एनएसडीसी के सहयोग से कौशल विकास के बड़े क्षेत्र में से एक पर ही काम कर रहे हैं, एएआई अगले एक साल के दौरान आगे के कौशल विकास प्रस्तावों को स्वीकार नहीं करेगा।
7. यदि जिला स्तर के अधिकारियों से प्रस्ताव प्राप्त किए जाते हैं, तो राज्य सरकार के विभाग के संबंधित प्रमुख की सिफारिशों / अनुमोदन को सीएसआर फंडिंग के माध्यम से ऐसी परियोजना की आवश्यकता की पुष्टि करने की मांग की जाएगी। यदि किसी भी समान कार्यक्रम को पहले राज्य / क्षेत्र के लिए पहले किया गया था, तो कार्यक्रम के अगले चरण को लेने का निर्णय लेने के दौरान पहले कार्यक्रम की रिपोर्ट पर अनिवार्य रूप से विचार की जानी चाहिए।

(जी के चौखियाल)
कार्यपालक निदेशक (सी एस आर)